राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या- पं0नि0 30-373/2021 - 449

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 8.2.24

विषय : मुखिया/उप मुखिया, सरपंच/उप सरपंच/प्रमुख/उप प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1629 दिनांक 19.07.2013, पत्रांक 1594 दिनांक 18.07.2018 एवं पत्रांक 129 दिनांक 12.01.2024 (पत्र संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा मुखिया/उप मुखिया, सरपंच/उप सरपंच/प्रमुख/उप प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के विशेष बैठक के संचालन में आयोग की कोई भूमिका नहीं होने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को संसूचित किये गये हैं।

विदित हो कि मुखिया/उप मुखिया, सरपंच/उप सरपंच/प्रमुख/उप प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के विशेष बैठक के संचालन में आयोग के पत्रांक 2535 दिनांक 16.09.2008 का उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त पत्र को सन्दर्भ भी लिया जा रहा है। जबकि **आयोग के उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेश के बाद आयोग का पत्रांक 2535 दिनांक 16.09.2008 स्वत: निष्प्रभावी हो गया है, अत: सन्दर्भ लेने का कोई औचित्य नहीं है।**

ज्ञातव्य है कि **बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम-12, नियम-23 एवं नियम-35** में क्रमशः मुखिया/उप-मुखिया, प्रमुख/उप प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरूद्ध **अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु बैठक एवं उसके बुलाने की प्रक्रिया** के संबंध में अंकित है कि – "राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस संबंध में अलग से आवश्यक निदेश/मार्गदर्शन निर्गत कर सकेगी जो इस नियमावली का भाग होंगे।"

उल्लेखनीय है कि मुखिया/उप मुखिया, सरपंच/उप सरपंच/प्रमुख/उप प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप **रिक्त हुये पदों पर निर्वाचन कराये जाने हेतु नियमानुसार तिथि निर्धारिण करने की कार्रवाई आयोग के द्वारा की जाती है।**

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाये एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-373/2021 – ५५९ पटना, दिनांक – 8.2.24

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-373/2021 – ५५९ पटना, दिनांक – 8.2.24

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-373/2021 – ५५९ पटना, दिनांक – 8.2.24

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

137

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं०नि० 30-03/2024 - 129

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
भोजपुर।

पटना, दिनांक - 12/01/2024

विषय : भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-गड़हनी के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 62 दिनांक 06.01.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-गड़हनी के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

विदित हो कि अविश्वास प्रस्ताव के विशेष बैठक के संचालन में राज्य निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है। जिला पदाधिकारी द्वारा अधिनियम एवं नियमावली में निहित प्रावधान के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव का बैठक का संचालन कराना अपेक्षित है। अविश्वास प्रस्ताव के विशेष बैठक के उपरान्त केवल फलाफल प्रतिवेदित करने हेतु आयोग का पत्रांक 4497 दिनांक 30.12.2023 प्रेषित किये गये हैं, जिसके साथ संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया जाना है। ताकि निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्णय लिया जा सके। सन्दर्भित पत्र की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अविश्वास प्रस्ताव के मामले में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 में जिला पदाधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, ताकि इनके संचालन में कोई अनियमितता नहीं हो सके।

अनुलग्नक : यथोवत।

विश्वासभाजन,
12/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - पं०नि० 30-03/2024 124 पटना, दिनांक - 12/01/2024

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

12/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - पं०नि० 30-03/2024 125 पटना, दिनांक - 12/01/2024

प्रतिलिपि, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) (भोजपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506626, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom
D:\pm5\P_Bye_E_22.pmd/157

10.1.24

(136)

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक– 1594

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, भा0प्र0से0
सचिव।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक– 18 जुलाई, 2018

विषयः– मुखिया/उप–मुखिया, सरपंच/उप–सरपंच, प्रमुख/उप–प्रमुख/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के त्याग–पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन–2016 के दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विभिन्न स्रोतों से सूचना मिल रही है कि त्रि–स्तरीय प्रतिनिधि के खिलाफ 02 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव दायर किये जाने लगे हैं। इस संबंध में पूर्व में जिलों से आयोग से पृच्छा की गयी है। ज्ञातव्य है कि **अविश्वास प्रस्ताव के संचालन में राज्य निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है।**

अविश्वास प्रस्ताव के संचालन की वैधिक स्थिति के संबंध में आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक–1629, दिनांक–19.07.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

18/7

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या– 1629 पटना, दिनांक– 19.7.13

प्रेषक,

अहि भूषण पाण्डेय,
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

विषयः– मुखिया/उप मुखिया, सरपंच/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों के मुखिया/उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच, पंचायत समितियों के प्रमुख/उप प्रमुख एवं ज़िला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन वर्ष 2011 में सम्पन्न कराया गया था। उक्त पदों पर सम्पन्न निर्वाचन की अवधि दो वर्ष पूरी हो चुकी है। समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि विभिन्न पंचायत समितियों के प्रमुख/उप प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। कुछ जिलों से प्रमुख/उप प्रमुख या अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 44 में प्रमुख/उप प्रमुख के त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया विहित की गई है। इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 70 में जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया विहित की गई है। मुखिया एवं उप मुखिंया द्वारा त्याग पत्र देने या अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 18 में विहित की गई है। ग्राम कचहरी के सरपंच एवं उप सरपंच को त्याग पत्र एवं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 97 में विहित की गई है।

अविश्वास प्रस्तावों के मामले में अधिनियम की धारा 157 में जिला पदाधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, ताकि इनके संचालन में कोई अनियमितता नहीं हो सके। अधिनियम की धारा 157 को निम्नवत् उल्लिखित किया जाता हैः

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001 Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847 E-mail: secbihar@gmail.com, sellecom@sify.com

194

"अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आहूत विशेष बैठकों के संचालन के सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी की शक्ति–यदि जिला दण्डाधिकारी की स्वप्रेरणा से अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर यह राय हो कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी पंचायत की विशेष बैठक के संचालन से सम्बद्ध उपबंधों के मामलों में कोई अनियमितता या भूल की जा रही है, तो उसे ऐसा निदेश निर्गत करने की शक्ति होगी, जो इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। वह ऐसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा और ऐसे पदाधिकारी से रिपोर्ट मांग सकेगा।"

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न याचिकाओं के निष्पादन में यह नियमन दिया गया है कि किसी भी पंचायत पद–धारक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित पंचायत के सदस्यों को पूरे सात दिन पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है। ऐसी सूचना में पद–धारक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारणों/आरोपों को उल्लिखित किया जाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के संचालन में राज्य निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

आयोग चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव के मामलों में विहित प्रक्रिया का समुचित अनुपालन किया जाय, ताकि इसके पारित होने के कारण जो रिक्ति बनती है एवं आयोग को प्रतिवेदित होती है, उसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। जिला पदाधिकारी से रिक्ति की सूचना प्राप्त होने पर आयोग नियमानुसार रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उप मुखिया/उप सरपंच, प्रमुख/उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव राज्य निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में ही कराया जाना है। जिला पदाधिकारी या अनुमण्डल पदाधिकारी आयोग की पूर्वानुमति के बिना अपने स्तर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकते हैं।

कृपया आयोग के इस पत्र की प्रति सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को अपने स्तर से निर्गत कर दी जाय।

विश्वासभाजन,

19.7.13

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।